भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2311

25 अप्रैल, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

हैंक यार्न दायित्व के दायित्व कम किया जाना

2311. श्री हुसैन दलवई :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कताई मिलों द्वारा अपने उत्पादन के 40 प्रतिशत की दर से हैंक यार्न निर्मित करना आवश्यक है

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या हैंक यार्न का हथकरघा क्षेत्र की आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार 40 प्रतिशत के दायित्व को घटाकर 10 प्रतिशत करने का विचार रखती है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी)

(क) और (ख): जी, हां । भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3 के तहत हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना (एचवाईपीएन) प्रख्यापित की है जिसके अनुसार यार्न का प्रत्येक उत्पादक तिमाही आधार पर सिविल उपभोग के लिए पैक किए गए यार्न का कम से कम 40 प्रतिशत हैंक रुप में पैक करेगा और पैक किए गए हैंक यार्न का कम से कम 80 प्रतिशत, 80 या कम काऊंट का होगा । एचवाईपीएन का उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को पर्याप्त हैक यार्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ): प्रश्न नहीं उठता ।

(ड.) और (च): इस समय हैंक यार्न बाध्यता को 40 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । राज्य सरकारों ने मांग की है कि कीमतों में अस्थिरता और यार्न की कीमतों में अनिश्चित उतार-चढ़ाव को देखते हुए हैंक यार्न बाध्यता का वर्तमान स्तर यथावत रखा जाना चाहिए ताकि हथकरघा बुनकरों को हैंक यार्न की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके ।

*****